भारतसरकार
Government of India
परमाणुऊर्जाविभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण,सेवाएवंसंपदाप्रबंधनिदेशालय
Directorate of Construction, Services &Estate Management
प्रवर्तनअनुभागEnforcement Section

वि.सा.भवनV.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगरAnushakti Nagar,
मुंबईMumbai 400 094.
Telephone:25487217/2548727

Ref: DCSEM/Enft/2020/894

10, नवंबर November, 2020

परिपत्र CIRCULAR

विषय : मिशन बिगेन अगेन के तहत प्रतिबंधों में छुट - बाहर से आने वाले लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति| Easing of Restrictions Mission Begin Again – Permission for entry of outsiders – reg.

निदेशालय के दिनांक 23.10.2020 के परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/860/2020 का अधिक्रमण करते हुए मुंबई स्थित पऊवि कॉलनी एवं अणुशक्तिनगर परिसर में बाहर से आनेवाले लोगों के प्रवेश हेतु नये दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:-
In supersession of this Directorate's Circular No.DCSEM/Enft/2020/860 dated October 23, 2020, the following are the new guidelines for entry of outsiders inside Anushaktinagar premises and other DAE colonies in Mumbai.

1. कामवाली बाईयों / सेविकाओं **Housemaids**:

दिनांक 23.10.2020 के परिपत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का दिनांक **16.11.2020** तक पालन किया जाएगा । Guidelines issued vide Circular dated 23/10/2020 will be followed **upto 16/11/2020.**

इसके पश्चात दिनांक **17.11.2020** कामवाली बाईयों/सेविकाओं के प्रवेश हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा | **Thereafter**, **from 17/11/2020** the following guidelines have to be followed for entry of housemaids:

a. कामवाली बाईयों/ सेविकाओं को कोविड 19-महामारी के पूर्व अनुसरण किए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। तथापि कोविड से संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा समय.-समय जारी दिशा-निर्देशों अर्थात सोशल डिस्टंसिंग,मास्क पहनना सेनिटाइझेशन इत्यादि का कामवाली बाईयों/ सेविकाओं द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। Housemaids will be allowed entry as per the terms and conditions followed prior to Covid 19 pandemic. However, all the Covid related guidelines issued by the Statutory authorities from time to time, i.e., social distancing, wearing mask, sanitization etc. has to be strictly followed by the maids.
b. आबंटिती की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके यहॉ आने वाली कामवाली बाई दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है एवं हॉट-स्पॉट /कंटेटमेंट झोन में न रहती हो। It will be the responsibility of the allottees to make sure that the housemaids are following the guidelines and are not from Hot Spot/Containment zone.
c. कामवाली बाईयों/ सेविकाओं का कॉलोनी में पहली बार प्रवेश के समय उनका कोविड टेस्ट प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात उनमें कभी यदि कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आबंटिती को उस कामवाली बाई की सेवाएं बंद करनी चाहिए व उसकी टेस्ट करा कर संबंधित टेस्ट रिपोर्ट अणुशक्तिनगर सुरक्षा को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। At the time of initial entry, COVID test certificate (Antingen/Antibody/RT-PCR) of the Maid is compulsory. Subsequently, if any symptoms are seen, the allottee should immediately stop the services of the maid and get him/her tested and the same should be reported to the Anushaktinagar Security.
d. आबंटिती के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के हित में, बेहतर होगा कि कामवाली बाईयों का कोविड टेस्ट पंधरा दिन के अंतराल पर करवाया जाए एवं उसकी रिपोर्ट सुरक्षा अनुभाग को भेजी जाए, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। In the interest of the health and hygiene of the allottees, the COVID test of the maids

may be carried out preferably in fortnightly intervals and submitted to the Security; however, the same is not mandatory.

e. कामवाली बाईयों/सेविकाओं को काम पर रखते समय इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की पूर्णत: जिम्मेदारी आबंटिती की होगी। It will be sole responsibility of the allottee with regard to strictly following the guidelines /restrictions issued from time to time while employing the house maid at their residence.

2. अन्य सर्विस प्रोवाईडर (झोमेटो /स्विगी /डोमीनोज पिज्जा) **Other service providers (Zomato/Zwiggy/Domino Pizza):**

वर्तमान में अन्य ऑनलाइन सेवाओं (ॲमेझॉन/ फ्लिपकार्ट/मिंत्रा/स्नॅपडील/मैक्स इत्यादि) की अनुमति हैं। इसी प्रकार, तत्काल प्रभाव से आबंटिती के घर तक तैयार खाद्य पदार्थ भोजन(झोमेटो /स्विगी /डॉमिनोज पिज्जा) पहुंचाने की सेवाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति होगी । तथापि आबंटिती को सोशल डिस्टसिंग ,मास्क पहनना सेनिटाइझेशन इत्यादि का कडाई से पालन करना होगा । अत: सभी सर्विस प्रोवाईडरों को कोविड-19 महामारी के पूर्व के प्रवेश निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रवेश की अनुमति होगी । As other online services (i.e. Amazon /Flipcart/Myntra/Snapdeal/Max etc.) are permitted upto the residence of the allottee at present; similarly, the services of cooked food product (i.e. Zomato, Swiggy, Domino Pizza etc.) will also be permitted upto the residence of the allottee with immediate effect. However, the resident shall strictly follow all COVID-19 related guidelines such as social distancing, wearing of mask, sanitization etc. Thus all service providers are permitted to enter as pre pre-covid rules and conditions.

3. बाहर से आने वाले लोग **Outside Visitors**:

बाहरी राज्यों से (महाराष्ट्र राज्य के अलावा) आनेवाले लोगों के पास अणुशक्तिनगर कॉलनी में प्रवेश करने की तिथि से चार दिन पूर्व तक का वैध कोविड/ ॲटीजेन/ॲटीबॉडी/आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र होना चाहिए। तथापि महाराष्ट्र से आनेवाले लोगों को उपरोक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जाती है एवं उन्हें कोविड-19 महामारी के पूर्व के प्रवेश निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रवेश की अनुमति होगी। The Visitors coming from Outside States (other than Maharashtra State) should possess a valid COVID/ Antigen/ Antibody/RTPCR test certificate carried out not prior to four days on the date of entry into Anushaktinagar colony. However, those visitors from the State of Maharashtra are exempted from submitting the above mentioned certificate and they will be allowed entry as per the terms and conditions followed prior to the COVID-19 pandemic.

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश निसेसंप्रनि के नियंत्रणाधीन मुंबई स्थित अणुशक्तिनगर एवं पऊवि कॉलनी(पूर्णिमा और जर्लिना को छोडकर) के सभी निवासीयों को लागू हैं। All the above guidelines are applicable to all residents in Anushaktinagar colony, and other DAE Colonies in Mumbai (excluding Purnima and Zerlina) under the control of DCSEM.

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) हेतु महाराष्ट्र सरकार के समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार उपरोक्त दिशा-निर्देशों की उचित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी। The above guidelines will be reviewed periodically as per the directives of Government of Maharashtra for Mumbai Metropolitan Region (MMR) from time to time.

शैलजा प्रकासम
10/11/2020

(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

प्रति To :अणुशक्तिनगर एवं अन्य पऊवि कॉलोनियों के सभी निवासी : सूचना पट्ट के माध्यम से All Residents through Notice Board – Anushaktinagar and other DAE colonies.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी , अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar.
2. सभी आवासीय कल्याण संघ All Residents Welfare Association.
3. पऊवि, मुंबई की सभी यूनिटों के प्रधान - उनके अधीन कर्मचारियों के बीच व्यापक परिचालन हेतु Heads of all units of DAE, Mumbai – for wide circulation among their employees.
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM Website.
5. अवर सचिव(एसयूएस), पऊवि
6. संयुक्त सचिव का कार्यालय (ए एंड ए), पऊवि - सूचनार्थ